सरयू राय

सदस्य
झारखण्ड विधान सभा
सभापति
प्रत्यायुक्त विधान समिति

आवास :
• एफ. टाईप, आवास सं०-1, ए.जी. मोड़,
डोरण्डा, राँची - 834002
मोबाईल नं० : 9431114466
ई-मेल : saryuroyoffice@gmail.com
वेबसाईट : www.saryuroy.in

पत्रांक : आ.का.(मु.मं.)/02/313/25 दिनांक : 08-10-25

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार।

विषय : बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल में अवैध कोयला खनन, कोयला चोरी, अवैध कोयला फैक्ट्री का परिचालन के संबंध में।

महाशय,

बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल के कतिपय जागरूक नागरिक विगत कुछ दिनों से मेरे पास उपर्युक्त विषय में ठोस सूचनाओं के आधार पर लिखित सूचनाएं भेज रहे हैं। उनकी पीड़ा है कि जिला प्रशासन, पुलिस एवं सीसीएल के संबंधित सक्षम पदाधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद अवैध धंधा बदस्तूर चल रहा है और इसे रोकने तथा इसमें संलिप्त समूह के विरूद्ध कार्रवाई करने की दिशा में कुछ भी नहीं हो रहा है। फलतः अवैध धंधा करने वालो का मनोबल बढ़ा है और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वालो का मनोबल गिरा है। मुझसे इन्होंने अपेक्षा की है कि मैं इस विषय को आप तक पहुँचाने में उनकी मदद करूँ ताकि कोयला चोरी करने, अवैध कोयला खनन करने तथा अवैध कोयला प्रोसेसिंग उद्योग चलाने वालों के विरूद्ध कारवाई हो और अवैध धंधा पर रोक लगे। इसलिए पत्र के माध्यम से उनकी पीड़ा आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूँ जो निम्नवत है:–

1. झारखंड के बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल में अवैध कोयला कारोबार का बेलगाम और निर्बाध संचालन हो रहा है। बेरमो अनुमंडल के पेंक नारायणपुर, नावाडीह, दुग्धा, पेटरवार, बोकारो थर्मल, कथारा ओपी, तेनुघाट ओपी जैसे विभिन्न थानों के क्षेत्रों में बाइक, वैन, ट्रैक्टर और ट्रकों के माध्यम से अवैध कोयले का धंधा बेरोकटोक जारी है।

2. व्यवस्था में बदलाव होते रहता है, लेकिन धंधा बदस्तूर जारी है। पहले कोयले का यह अवैध धंधा थाना स्तर से संचालित होता था, लेकिन वर्तमान स्थिति और भी भयावह है। रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची और बोकारो के संगठित धंधेबाज यह अवैध कारोबार चला रहे हैं। ये शासन–प्रशासन में अपनी गहरी पैठ की धमक देते हैं और थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों को हटाने की धमकी तक देते हैं। कोयला तस्करी में लगे इन अवैध धंधेबाजों में पुलिस–प्रशासन का कोई खौफ नहीं दिखता है।

3. ये लोग पर्यावरण नियमों को भी ठेंगे पर रखते हैं। ये अवैध फैक्ट्रियां चला रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण नियमों का घोर उल्लंघन कर रहे हैं। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन वे कोल फैक्ट्रियां भी कर रही हैं, जो फैक्ट्री की आड़ में पोड़ा और स्टीम कोयले का अवैध कारोबार कर रही हैं। नागरिकों द्वारा मुझे भेजी गई जानकारी के मुताबिक़ जिनकी कथित संलिप्तता इस अवैध कारोबार में है, वे नाम, पता सहित निम्नवत हैं:–

क) नावाडीह की चिरुडीह स्थित रूबी कोल फैक्ट्री।

ख) पेंक नारायणपुर की पिलपिलो स्थित जगदंबा कोल फैक्ट्री (रामा हरिया)।

ग) पेटरवार की पिछरी स्थित निषाद कोल फैक्ट्री।

घ) गिरिडीह (निमियाघाट) की पोरदाग और खाकी स्थित कोल फैक्ट्रियाँ।

इन सभी फैक्ट्रियों में, शाम सात बजे से लेकर सुबह चार बजे तक बाइक, ट्रैक्टर और वैन से चोरी का कोयला पहुंचाया जाता है, जबकि बाइकों से तो सारा दिन कोयले की ढुलाई जारी रहती हैं।

4. ये फैक्ट्रियाँ पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की धज्जियां उड़ा रही हैं। कोयला भट्टी (धवन भट्टी) में पोड़ा करने की बजाय इनके द्वारा अपने परिसर में खुले आसमान के नीचे पोड़ा किया जा रहा है। ये फैक्ट्रियां रिहायशी इलाकों के पास हैं, जहां ग्रामीण कार्बन मोनोऑक्साइड के भयंकर प्रदूषण की मार झेलने को विवश हैं। जिला में पर्यावरण संरक्षण समिति के अध्यक्ष खुद डीसी होते हैं, फिर भी उनकी ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई न होना, स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।

5. कोयले की यह चोरी मुख्य रूप से सीसीएल के बी. एंड के. तथा कथारा और ढोरी एरिया के खदानों से हो रही है। इसके अलावा पेंक नारायणपुर के तापानी, चरकपनिया, पिलपिलो, बोकारो थर्मल के जारंगडीह, कथारा कोलियरी, रेलवे साइडिंग, कुसुमडीह और सीसीएल कारो स्पेशल फेज–2 की बंद खदानों से अवैध खनन कर कोयला निकाला जा रहा है।

6. कतिपय सोशल मीडिया द्वारा प्रसारित सूचना के अनुसार कोयला के इस अवैध खनन का परिवहन मोटर साइकिल, वैन, ट्रैक्टर आदि से निम्नांकित दरों पर हो रही है :–

- मोटर साइकिल से परिवहन में प्रति मोटर साइकिल प्रति माह ₹3,000/–
- प्रति वैन प्रति माह ₹50,000/– से ₹60,000/–
- तथा ट्रैक्टर से परिवहन में प्रति ट्रैक्टर ₹1,000/– रुपया का भुगतान अवैध परिवहनकर्ताओं को किया जाता है।

महोदय, उपरोक्त विवरण के आलोक में जांचोपरांत दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहेंगे।

सधन्यवाद,

भवदीय

सरयू राय

(सरयू राय)